जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर **दिनांक – 10.07.2024**

थाना मंडावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/24 धारा 318(4) बी0एन0एस के सम्बंध में।

आज दिनांक 10.07.2024 को श्री सुरेन्द्र सिंह, राजस्व निरीक्षक, खानपुर माधो थाना मंडावर तहसील व जनपद जनपद बिजनौर द्वारा थाना मंडावर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.04.2024 को थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चन्द्रभानपुर में श्री प्राचीन सिद्ध पीठ माँ अम्बिका देवी गलखा मन्दिर समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या BIJ-00213-2024-25 रजिस्टर्ड कराई गई है, जिसके अध्यक्ष देशराज सिंह पुत्र आशाराम निवासी फतेहपुर सभाचन्द पोस्ट अमीपुर नारायण थाना मंडावर जनपद बिजनौर, 2.रसिक चौहान (उपाध्यक्ष) पुत्र राजीव कुमार निवासी इस्लामपुर दीपा भरत विहार कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.शीशराम (प्रबन्धक) पुत्र श्री शादी निवासी मानवाला पोस्ट बालावाली थाना मंडावर जनपद बिजनौर 4.नरेन्द्र कुमार चौहान (कोषाध्यक्ष) पुत्र हरज्ञान सिंह निवासी अमीपुर उर्फ नारायनपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर सहित 11 सदस्य है। प्रबंधन समिति द्वारा तथ्यों को छिपाकर धोखाधडी के उद्देश्य से समिति का गठन किया गया है।

तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 202/24 धारा 318(4) बी0एन0एस बनाम देशराज सिंह आदि कुल 04 नामित एवं 11 अज्ञात पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना को0 शहर **दिनांक- 10.07.2024**

थाना को0 शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रो के निर्माण/बिक्री/परिवहन व अपने साथ अवैध शस्त्रो को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 शहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त शंकर पुत्र नरसिंह निवासी बी4-238 सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दिल्ली को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 632/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शंकर पुत्र नरसिंह निवासी बी4-238 सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दिल्ली।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.का0 1606 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.का0 112 गौरव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 10.07.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 473/2024 धारा 420/406/506/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.06.2024 को वादी श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह निवासी ग्राम छजुपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. दिपांशु कश्यप पुत्र जयपाल सिंह 2. जयपाल निवासीगण ग्राम जलालपुर सुल्तान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी की बहन को सरकारी नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर रुपये ठग लिये गये। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 473/2024 धारा 420/406/506/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने तथा चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दिपांशु कश्यप पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम जलालपुर सुल्तान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दिपांशु कश्यप पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम जलालपुर सुल्तान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 मृदुल कुमार सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2. हे0का0 650 राहुल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 10.07.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 266/2024 धारा 498ए/307/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.05.2024 को वादिनी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.शाहनवाज 2.शमीम 3.सलीम 4.वसीम पुत्रगण छोटे 5.सुहाना पत्नी शमीम 6.रुकसाना पत्नी सलीम 7.गुलशन पत्नी वसीम समस्त निवासीगण ग्राम सदरुद्दीन नगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी को दहेज के लिये प्रताडित किया गया तथा गाली-गलौज कर जान से मारने की नीयत से मारपीट की गयी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 266/2024 धारा 498ए/307/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने तथा चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शाहनवाज पुत्र छोटे निवासी ग्राम सदरुद्दीन नगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहनवाज पुत्र छोटे निवासी ग्राम सदरुद्दीन नगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 वसीम अकरम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 10.07.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 322/2024 धारा 147/148/149/452/307/504/506/325 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.06.2024 को वादी श्री गुलाम नबी पुत्र सुक्खे शाह निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि रास्ते से गाडी हटाने को लेकर अभियुक्तगण 1.जाबिर पुत्र नामालूम 2. सलमान 3.फरमान 4.उस्मान पुत्रगण जाबिर 5.नसीम पुत्र शरीफ 6.शमीम 7.काला 8.फज्जू पुत्रगण नसीम निवासीगण ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के भाई नजर अली, राशिद व पत्नी राबिया के साथ गाली–गलौच करते हुए धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी, जिसमे वादी की पत्नी राबिया का हाथ टूट गया तथा अन्य सदस्यों को चोटें आयी । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 322/2024 धारा 147/148/149/452/307/504/506/325 भादवि बनाम जाबिर आदि उपरोक्त कुल 08 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 322/2024 धारा 147/148/149/452/307/504/506/325 भादवि के वांछित अभियुक्तगण शमीम पुत्र नसीम व उस्मान पुत्र जाबिर निवासीगण ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित चार अभियुक्तगण 1.फरमान पुत्र जाबिर, 2.नसीम पुत्र शरीफ, 3.काला उर्फ मुकीम पुत्र नसीम व 4.फज्जू उर्फ फैजान पुत्र नसीम समस्त निवासीगण ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को पूर्व में ही घटना में प्रयुक्त फरसा सहित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शमीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम समीरपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.उस्मान पुत्र जाबिर ग्राम समीरपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 मौ0 कय्यूम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.का0 1223 रजत थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.का0 1814 देवव्रत थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मण्डावली दिनांक- 10.07.2024

थाना मण्डावली पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.07.2024 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त सुशील पुत्र सुखराम निवासी ग्राम प्रेमपुरी थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुशील पुत्र सुखराम निवासी ग्राम प्रेमपुरी थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुशील उपरोक्त-

1.मु0अ0स0- 120/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0स0- 70/2018 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0स0 -14/2019 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
4.मु0अ0स0 -30/2020 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 वेदप्रकाश शर्मा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
2. का0 1122 अरबाज खाँ थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा दिनांक – 10.07.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 323/2024 धारा 110/115/126(2)/352/105 बी0एन0एस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.07.2024 को वादी श्री फरमान पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 03.07.2024 को अभियुक्तगण 1.नाजिम पुत्र कलवा निवासी सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.मनोज पुत्र निहाल 3.नन्हे पुत्र नामालूम निवासीगण बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता अब्दुल सत्तार को रास्ते मे रोककर गाली – गलौच करते हुए लाठी डण्डो से मारपीट की गयी, जिससे वादी के पिता अब्दुल सत्तार को गम्भीर चोटे आयी तथा मौके पर ही बहोश हो गये। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 323/2024 धारा 110/115/126(2)/352 बी0एन0एस बनाम नाजिम आदि उपरोक्त कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया। दिनांक 09.07.2024 को घायल अब्दुल सत्तार की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 105 बी0एन0एस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र निहाल निवासी बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मनोज पुत्र निहाल निवासी बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

अभियुक्त मनोज का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 348/20 धारा 60(1) अबकारी अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 440/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 323/2024 धारा 110/115/126(2)/352/105 बी0एन0एस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 385 भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.का0 2145 अर्जुनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर